न्यायालय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTC), प्रतापगढ़ ।

सत्र परीक्षण संख्या : 848 सन् 2021

राज्य उत्तर प्रदेश बनाम वासिफ अली उर्फ कल्लू व 4 अन्य ।

मुकदमा अपराध संख्या : 140/ 2020

धारा:147, 148, 149, 323, 504,
506, 307, 302 भा0 द 0 सं0

थाना : रानीगंज ।

जिला : प्रतापगढ़ ।

---

1 अप्रैल 2022

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर अभियुक्त वासिब अली उर्फ कल्लू जिला कारागार से उपस्थित आया । अन्य शेष अभियुक्तगण मोहम्मद इमरान, नन्हे उर्फ वसीम, सलमान पुट्टे व शाहरूख खान मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये ।

अभियुक्तगण वासिफ अली उर्फ कल्लू, नन्हे उर्फ वसीम व मोहम्मद इमरान की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राममिलन शुक्ल व अभियुक्तगण सलमान उर्फ पुट्टे व शाहरूख खान की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नसीम खान तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आरोप पर बहस की गई ।

न्यायालय द्वारा आरोप पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से आरोप पर विस्तार पूर्वक बहस करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण वासिब अली उर्फ कल्लू, मोहम्मद इमरान, नन्हे उर्फ वसीम, सलमान पुट्टे व शाहरूख द्वारा लाठी–डंडा व कुल्हाड़ी से मारपीट करके तथा फायर करके वादी मुकदमा के पिता पर जानलेवा हमला करके उनकी हत्या कारित करने का आरोप है परंतु दौरान विवेचना जो साक्ष्य संकलित किया गया है उसमे विरोधाभाष है जिससे अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है और न हीं अभियुक्तगण का कथित अपराध कारित करने का कोई उद्देश्य ही साबित होता है । मृतक हामिद अली की इंजरी रिपोर्ट में भी फायर आर्म इंजरी से मृत्यु कारित किए जाने का कथन संबंधित चिकित्सक द्वारा नहीं किया गया है बल्कि सेप्टीसेमिया गेस्टिक से उसकी मृत्यु हो जाने का कथन स्वरूप रानी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा किया गया है । पत्रावली पर तहसील रानीगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ का कोई भी इलाज से संबंधित प्रपत्र उपलब्ध नहीं है जबकि अभियोजन का यह कहना है कि चोटहिल व्यक्तियो को तहसील रानीगंज पर प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया जहां से उसे स्वरूपरानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में भर्ती किया गया । दौरान विवेचना जिन गवाहों के बयान विवेचक द्वारा लिए गए हैं उनके बयानो मे भी विरोधाभाष है जिससे अभियुक्तगण द्वारा हत्या किया जाना साबित नहीं होता है । अतः ऐसी दशा में अभियुक्तगण उपरोक्त को लगाए गए आरोपों से उन्मोचित

करने की कृपा की जाए ।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री काशीनाथ तिवारी द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण के उपरोक्त तर्को का खंडन किया गया और यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक हामिद अली पर अभियुक्तगण वासिब अली उर्फ कल्लू, मोहम्मद इमरान, नन्हे उर्फ वसीम, सलमान उर्फ पुट्टे व शाहरुख खान और कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने लाठी– डंडा और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया और अभियुक्त वासिब अली उर्फ कल्लू ने हामिद अली के ऊपर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया जिससे हामिद अली गंभीर रूप से घायल हो गया और दौरान इलाज अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई । हामिद अली के पेट में तमंचे की गोली के बारूद से सेप्टीसीमिया गैस्ट्रिक का रोग उत्पन्न हो गया और उस गोली के बारूद से ही इंफेक्शन हो कर उसकी मृत्यु हो गई जैसा कि इलाज करने वाले पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक द्वारा भी विवेचक को इस बारे में अपने बयान दिए गए है । दोनों पक्षों के बीच जमीनी रंजिश चल रही है, विवेचना में यह तथ्य उजागर हुआ है जिस कारण इस हत्या किए जाने का उद्देश्य भी साबित होता है । तहसील रानीगंज में मृतक का प्राथमिक उपचार किया गया । उसके बाद जिला चिकित्सालय में मृतक को रेफर किया गया जहां से एसआरएन अस्पताल प्रयागराज में रेफर कर दिया गया । तहसील रानीगंज और जिला चिकित्सालय में हुए इलाज से संबंधित प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है । एसआरएन अस्पताल के चिकित्सा से संबंधित प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध हत्या करने का आरोप बखूबी साबित है । अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अपराध धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 302 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित करने की कृपा करें ।

न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तार पूर्वक सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया ।

वादी मुकदमा माशूक खान पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम राजापुर खरहर तहसील रानीगंज जिला प्रतापगढ़ द्वारा एक लिखित तहरीर थानाध्यक्ष रानीगंज को दिनांक 16 अप्रैल 2020 को इस आशय के प्रस्तुत की गई कि, "घटना दिनांक 12 अप्रैल 2020 समय करीब 8:00 बजे सुबह की है । मेरे गांव के वासिब अली उर्फ कल्लू, मोहम्मद इमरान, नन्हे उर्फ वसीम, सलमान उर्फ पुट्टे व शाहरुख खान अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मेरे दरवाजे पर एक राय होकर हाथ में कट्टा, कुल्हाड़ी व लाठी– डंडा लेकर पुरानी रंजिश के कारण गालियां देते हुए आए । मैं गेहूं काटकर दरवाजे पर स्थित नल के पास जैसे ही पहुंचा कि मोहम्मद सलमान ने जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर कर दिया । फायर की आवाज सुनकर मेरे पिताजी हामिद अली हल्ला गुहार मचाते हुए बीच बचाव के लिए दौड़े तो वासिब अली उर्फ कल्लू ने मेरे पिताजी के ऊपर कट्टा से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया । मेरे पिताजी गोली लगने से गिर गए तो उक्त सभी लोग जान से मारने की नीयत से लाठी– डंडा, कुल्हाड़ी से मारने लगे जिससे मेरे पिताजी बेहोश हो गए । मैं एक ईंट पत्थर फेंककर बचाव करने लगा तो मुझे भी उक्त लोग लाठी– डंडा, कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया । हल्ला गुहार पर जलीलुद्दीन व इसराइल व इनामुल हसन आदि लोग दौड़े तो उक्त लोग घर फूकने व पूरा परिवार खत्म कर देने की धमकी देते हुए भाग गए । दवा इलाज में व्यस्त होने के कारण सूचना नहीं दे सका । मैं अस्पताल से सूचना भेज रहा हूं । मेरे पिता अब भी जीवन मौत से जूझ रहे हैं । अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि रपट दर्ज करके आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें । उक्त वासिब अली व शाहरूख हिस्ट्रीशीटर अपराधी है । उक्त लोग अब भी धमकी दे रहे हैं ।"

कथित घटना दिनांक 12 अप्रैल 2020 की प्रातः 8:00 बजे की बताई गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 4 दिन पश्चात 17 अप्रैल 2020 को शाम 4:30 बजे थाना रानीगंज पर दर्ज कराई गई जिसका कारण यही बताया कि वादी मुकदमा अपने पिता के इलाज में व्यस्त रहा और यह लिखित तहरीर भी अस्पताल से ही भेज रहा है जिस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में 4 दिन का विलम्ब हुआ है ।

थाना रानीगंज पर इस तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण (1.) वासिब अली उर्फ कल्लू (2.) मोहम्मद इमरान (3.) नन्हे उर्फ वसीम (4.) सलमान उर्फ पुट्टे, व (5.) शाहरुख खान और अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचक द्वारा विवेचना आरंभ की गई । सर्वप्रथम विवेचक द्वारा नकल चिक किता की गई और नकल रपट किता की गई तत्पश्चात f.i.r. लेखक कांस्टेबल मुहर्रिर राजेश कुमार यादव के बयान लिखे गए । उसके बाद विवेचक द्वारा वादी मुकदमा माशूक अली के बयान लिखे गए । वादी मुकदमा माशूक अली ने विवेचक को दिए बयानों में वही बयान दिये जो अपनी तहरीर में लिखे गए हैं । विवेचक द्वारा तत्पश्चात मृतक हामिद अली की पत्नी शकीला बानो के बयान लिए गए । शकीला बानो ने विवेचक को यह बयान दिया कि, "मेरे परिवार एवं मेरे गांव के पड़ोसी वासिब अली उर्फ कल्लू आदि से जमीन के कब्जेदारी को लेकर कई वर्षों से पुरानी रंजिश चली आ रही है । उसी रंजिश के कारण दिनांक 12 अप्रैल 2020 को समय करीब 8:00 बजे सुबह मेरे गांव के वासिब अली उर्फ कल्लू, मोहम्मद इमरान, नन्हे उर्फ वसीम व मोहम्मद सलमान उर्फ पुट्टे तथा शाहरुख खान एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से अपने– अपने हाथों में कट्टा, कुल्हाड़ी और लाठी– डंडा लेकर मेरे घर पर चढ़ाए एवं भद्दी– भद्दी गालियां देने लगे । जब मेरे पति हामिद व मेरे परिवार वाले गाली देने से मना किए तो मोहम्मद सलमान ने जान से मारने की नीयत से मेरे लड़के माशूक के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया । मेरा लड़का बाल–बाल बचा एवं उसी समय बीच– बचाव करने के लिए मेरे पति हामिद अली दौड़े तो मेरे पति हामिद के ऊपर जान से मार डालने की नीयत से वासिब अली उर्फ कल्लू ने अपने हाथ में लिए हुए तमंचे से फायर कर दिया जो मेरे पति हामिद के पेट में लगी गोली लगने के बाद मेरे पति हामिद घर के सामने जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए । मेरे परिवार के लोगों द्वारा गुहार लगाई गई तो मेरे गांव के जलालुद्दीन, इसराइल तथा इनामुल हसन आदि लोग मौके पर दौड़ कर आ गए । सारे घटना देखे व सुने तथा बीच– बचाव किए । लोगों के बीच– बचाव करने पर वह लोग मेरे पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी देते हुए अपने घर की तरफ चले गए । परिवार के लोगों हामिद अली का दवा– इलाज कराने सीएचसी रानीगंज, जिला अस्पताल प्रतापगढ़, एसआरएन प्रयागराज अस्पतालों में ले गए । मेरे पति हामिद व लड़के माशूक का दवा– इलाज चल रहा है । मेरे लड़के माशूक ने दिनांक 17 अप्रैल 2020 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर इस घटना के संबंध में मुकदमा लिखवाया ।"

इसके बाद विवेचक द्वारा मृतक हामिद अली के दूसरे पुत्र महफूज का बयान लिया गया । महफूज ने भी यही बयान विवेचक को दिए जो शकीला बानो ने दिए थे और अभियुक्तगण द्वारा कुल्हाड़ी और लाठी– डंडा से हामिद अली के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला करना तथा मोहम्मद सलमान द्वारा जान से मारने की नीयत से माशूक के ऊपर तमंचे से फायर करना तथा वासिफ अली उर्फ कल्लू द्वारा जान से मारने की नीयत से तमंचे से हामिद अली के ऊपर फायर किए जाने का बयान विवेचक को दिया ।

इसके बाद विवेचक द्वारा वादी व गवाहों के बताने के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और

घटनास्थल का नक्शा– नजरी तैयार किया गया । पत्रावली पर कागजात संख्या 7 ख/1 घटना स्थल का नक्शा– नजरी है जिसमें मकान मृतक हामिद अली, मकान शौकत, मकान इसराइल आदि, दक्षिण दिशा में दर्शाए गए हैं जिसके उत्तर दिशा में पक्की सड़क है और पक्की सड़क के उत्तर दिशा में दुकानें अनीस हाफिज दर्शाई गई हैं । अक्षर 'A' से वह स्थान दर्शाया गया है जहां गाली– गलौज, मारपीट व फायरिंग की घटना हुई और आते हुए तीरो के निशान से अभियुक्तगण का आना तथा जाते हुए तीरो के निशान से अभियुक्तगण का भाग जाना दर्शाया गया है । यह 'A' स्थान मृतक हामिद अली के मकान के साथ लगी उत्तर दिशा में सड़क किनारे पर दर्शाया गया है ।

उसके बाद विवेचक द्वारा चोटहिल हामिद अली के बयान लिए गए जिसकी वाद मे दौरान इलाज मृत्यु हो गई । केस डायरी के पर्चा नंबर 3 पर दिनांक 17 अप्रैल 2020 को चोटहिल हामिद अली के बयान लिए जाने का उल्लेख किया गया है जिसमें चोटहिल हामिद अली द्वारा विवेचक को यह बयान दिया गया कि, "मेरे परिवार एवं मेरे गांव के पड़ोसी वासिब अली उर्फ कल्लू आदि से जमीन के कब्जेदारी को लेकर बहुत दिनों से पुरानी रंजिश चली आ रही है । उसी रंजिश के कारण दिनांक 12 अप्रैल 2020 को समय करीब 8:00 बजे सुबह मेरे गांव के वासिब अली उर्फ कल्लू, मोहम्मद इमरान, नन्हे उर्फ वसीम, सलमान उर्फ पुट्टे तथा शाहरुख खान एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से अपने– अपने हाथों में कट्टा, कुल्हाड़ी और लाठी– डंडा लेकर मेरे घर पर चढ़ाए एवं भद्दी– भद्दी गालियां देने लगे । जब मैं व मेरे परिवार वाले गाली देने से मना किए तो मोहम्मद सलमान ने जान से मारने की नीयत से मेरे लड़के माशूक के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया जिसमें व बाल–बाल बचा एवं बीच–बचाव करने मैं दौड़ा तो मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से वासिब अली उर्फ कल्लू ने तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिसकी गोली मेरे पेट में लगी । गोली लगने के बाद मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया । उसके बाद मेरे परिवार के लोगों द्वारा गुहार लगाई गई तो मेरे गांव के जलालुद्दीन, इसराइल तथा इनामुल हसन आदि लोग मौके पर दौड़कर आ गए । लोगों के बीच– बचाव करने पर वह लोग मेरे पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी देते हुए अपने घर की तरफ चले गए । मेरे परिवार के लोगों मेरी दवा– इलाज कराने सीएचसी रानीगंज, जिला अस्पताल प्रतापगढ़, एसआरएन प्रयागराज ले गए । इलाज के बाद आराम होने पर मैं घर आया हूं । इसी बीच में मौका निकाल कर मेरे लड़के माशूक के द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2020 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर इस घटना के संबंध में मुकदमा लिखवाया । मेरे बेहोश होने के बाद की बात मेरे परिवार वालों ने मुझे होश में आने के उपरांत बतायी ।"

आगे की कार्यवाही में विवेचक द्वारा केस डायरी में यह किता किया गया है कि हामिद को सीएससी रानीगंज में इमरजेंसी नंबर 839 में दिनांक 12 अप्रैल 2020 को 9:20 बजे मेडिकल सीएससी रानीगंज में भर्ती किया गया जिसमें फायर आर्म इंजरी की चोट होना व जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के लिए रेफर किए जाने का तथ्य अंकित किया गया है । मेडिकल रिपोर्ट मूल रूप में संलग्न है । जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में सैया पत्रांक 7504 पर मजरूब हामिद अली उपरोक्त को दिनांक 12 अप्रैल 2020 को 10:05 पर प्रातः बजे पर भर्ती करके दवा इलाज करके एसआरएन इलाहाबाद के लिए रेफर किया गया जिसकी मेडिकल रिपोर्ट की प्रति संलग्न रोजनामचा खास किया जा रहा है । मजरूब माशूक का मेडिकल इमरजेंसी नंबर 840 पर दिनांक 12 अप्रैल 2020 को समय 9:20 बजे सीएससी रानीगंज में किया गया है जिसमें गंभीर चोट होने के कारण जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के लिए रेफर किया गया है । मेडिकल रिपोर्ट मूल रूप में संलग्न रोजनामचा खास किया जा रहा है । माशूक उपरोक्त को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में बैड हेड टिकट संख्या 7503 पर दिनांक 12 अप्रैल 2020 को समय 9:55 बजे दाखिल

करके इलाज किया गया । मेडिकल रिपोर्ट मूल रूप में संलग्न किया जा रहा है । केस डायरी के पर्चा नंबर 6 पर विवेचक द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण ने एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है जो अब तक के साक्ष्य संकलन से प्रमाणित है । अतः धारा 34 आईपीसी की बढ़ोतरी की जाती है ।

केस डायरी के पर्चा नंबर 7 दिनांकित 11 जून 2020 में इस अभियोग में धारा 302 भारतीय दंड संहिता की बढ़ोतरी की गई जिसका कारण यह उल्लिखित किया गया है कि वादी मुकदमा माशूक खान द्वारा थानाध्यक्ष रानीगंज को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया कि, "प्रार्थी के पिता हामिद अली को दिनांक 12 अप्रैल 2020 को वासिब अली उर्फ कल्लू आदि ने गोली मारकर घायल कर दिया था जिसका इलाज लगातार चल रहा था । आज रात जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में इलाज के दौरान घटना में आयी चोटों के कारण ही हामिद अली की मौत दिनांक 11 जून 2020 समय 2:15 बजे हो गई है । उनकी लाश जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में रखी है । हामिद अली की लाश का पंचनामा व पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है । अतः निवेदन है कि प्रार्थी के पिता हामिद अली की लाश का पंचनामा कराते हुए पोस्टमार्टम कराने की कृपा की जाए व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाए ।" इस प्रार्थना पत्र के आधार पर विवेचक द्वारा इस अभियोग में धारा 302 भारतीय दंड संहिता की बढ़ोतरी की गई और दिनांक 11 जून 2020 को मृतक हामिद अली के शव का पंचनामा कराया गया जिसमें दशा शव में यह उल्लिखित किया गया है कि, "मृतक का शव मोर्चरी हाउस के दरवाजे के सामने चित दशा में रखा हुआ है । दोनों हाथ पहलू में, सिर जानिब उत्तर जानिब दक्षिण आंख बंद है ।" मृतक हामिद अली के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 11 जून 2020 को समय 12:45 p.m. पर किया गया । मृतक के शव के पोस्टमार्टम में आयी चोटो मे stiched lacerated wound (3 stiched) in right hypochardian व drain just below umblicum कथन चिकित्सक द्वारा उल्लिखित किया गया है और मृत्यु का कारण shock septicemia लिखा गया है । मृतक के पेट के बीचो– बीच तथा दाईं तरफ घाव भी दर्शाया गया है । पत्रावली पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तहसील रानीगंज जिला प्रतापगढ़ तथा जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ एवं एसआरएन अस्पताल प्रयागराज के मृतक हामिद अली के इलाज से संबंधित चिकित्सीय प्रपत्र उपलब्ध है तथा वादी मुकदमा माशूक खान के चिकित्सीय इलाज से संबंधित प्रपत्र भी उपलब्ध हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तहसील रानीगंज जिला प्रतापगढ़ के हैं । केस डायरी के पर्चा नंबर 14 दिनांकित 27 अगस्त 2020 पर डॉ0 विजय कुमार पटेल जिला जेल प्रतापगढ़ के बयान अंकित है जिसमें डॉ0 विजय कुमार पटेल द्वारा विवेचक को यह बयान दिया गया है कि, "दिनांक 11 जून 2020 को मेरी जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के मोर्चरी हाउस में पीएम करने की ड्यूटी लगी थी । मृतक हामिद अली पुत्र खुशियाल उम्र 60 वर्ष का शव का पोस्टमार्टम पीएम नंबर 320/2020 पर मेरे द्वारा किया गया था जिसमें मृतक के एंटी मार्टम इंजरी में stiched lacerated wound (3 stiched) in high hypochardian व drain just below umblicum होना पाया गया व मृत्यु का कारण shock septicemia से होना पाया गया जो पेट में गोली लगने की वजह से है । अंत में केस डायरी के पर्चा नंबर 15 दिनांकित 4 सितंबर 2020 को विवेचक द्वारा यह उल्लिखित किया गया कि, "मुकदमा उपरोक्त में अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान मजरूब, बयान गवाह, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन इंजरी रिपोर्ट मृतक व इंजरी रिपोर्ट मजरूब तथा पीएम, पंचायतनामा मृतक हामिद अली, बयान डॉक्टर, साक्ष्य संकलन से पाया गया कि अभियुक्तगण (1.) वासिफ अली उर्फ कल्लू (2.) मोहम्मद

इमरान (3.) नन्हे उर्फ वसीम (4.) सलमान उर्फ पुट्टे व (5.) शाहरुख खान द्वारा पुरानी रंजिश के कारण एक राय होकर लाठी– डंडा, तमंचा से लैस होकर जान से मारने की नीयत से गोली मारी गई जिसमें वादी के पिता हामिद अली के पेट में गोली लगी तथा वादी घायल हुआ । दौराने इलाज दिनांक 11 जून 2020 को हामिद अली की जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में मृत्यु हो गई । मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण shock septicemia होना पाया गया । अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 302 भारतीय दंड संहिता बखूबी साबित है । अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाता है ।"

यह बात सही है कि मृतक हामिद अली की मृत्यु घटनास्थल पर कथित घटना के समय नहीं हुई और न ही अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान कुछ ही दिनों बाद नही हुई बल्कि एसआरएन अस्पताल प्रयागराज से इलाज करा कर वापस आने के बाद फिर से दोबारा जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में भर्ती होने के दौरान जिला चिकित्सालय में मृतक हामिद अली की मृत्यु हो गई । जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में डॉक्टर विजय कुमार पटेल द्वारा मृतक हामिद अली के शव का पोस्टमार्टम किया गया और यह पाया गया कि मृतक हामिद अली की मृत्यु shock septicemia के कारण हुई है जो कि तमंचे की गोली के बारूद से इंफेक्शन होने के कारण सेप्टीसीमिया का रोग उत्पन्न हो गया जिसका लगातार इलाज जिला चिकित्सालय से हो रहा था । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक के पेट के उस हिस्से में सेप्टीसीमिया का घाव दर्शाया गया है जिस पेट के हिस्से मे मृतक को तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया गया था । अभियोजन साक्षीगण वादी मुकदमा माशूक खान, मृतक हामिद अली, मृतक हामिद अली की पत्नी शकीला बानो, वादी मुकदमा माशूक खान का भाई महफूज़ खान, आदि आदि ने भी दौरान विवेचना विवेचक को यह बताया है कि मृतक हामिद अली के परिवार की जमीनी रंजिश अभियुक्त वासिब अली उर्फ कल्लू के परिवार से चली आ रही है और इसी रंजिश के कारण अभियुक्तगण द्वारा यह वारदात की गई जिससे अभियुक्तगण का उद्देश्य प्रथम दृष्टया साबित होता है । मृतक हामिद अली ने भी दौरान विवेचना को अभियुक्त वासिब अली का नाम स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा कि अभियुक्त वासिब अली उर्फ कल्लू ने ही जान से मारने की नीयत से उसके पेट में तमंचे से गोली मार दी थी । इसके अलावा अभियुक्त हामिद अली की पत्नी शकीला बानो और अभियुक्त हामिद अली के पुत्र वादी मुकदमा माशूक खान ने भी यह कहा कि अभियुक्त वासिब अली उर्फ कल्लू द्वारा मृतक हामिद अली के पेट में जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मार दी थी । इसके अलावा अभियुक्त सलमान ने भी तमंचे से फायर कर के वादी मुकदमा को जान से मारने का प्रयास किया जिससे वह बाल–बाल बच गया और इसके बाद सभी अभियुक्तगण ने लाठी– डंडा व कुल्हाड़ी से भी वादी मुकदमा व उसके परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला किया जिससे उन्हें काफी गंभीर चोटें भी कारित हुई । मामले की गंभीरता और अभियुक्त वासिब अली उर्फ कल्लू की इस घटना में मुख्य भूमिका को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17 मार्च 2021 को अभियुक्त वासिफ अली उर्फ कल्लू का जमानत प्रार्थना पत्र भी निरस्त कर दिया गया है । इसके अलावा शेष अभियुक्तगण की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है । दौरान विवेचना अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय से इस अपराध को कारित किया जाना भी विवेचक द्वारा पाया गया है और अंत में अभियुक्तगण वासिब अली उर्फ कल्लू, मोहम्मद इमरान, नन्हे उर्फ वसीम, सलमान पुट्टे व शाहरूख खान के विरुद्ध अपराध धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र अधीनस्थ/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ न्यायालय में दिनांक 8 सितंबर 2020 को प्रेषित किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट एवं विस्तृत आदेश पारित

करते हुए प्रसंज्ञान भी लिया गया और दिनांक 6 सितंबर 2021 को यह मुकदमा सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया ।

उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विश्लेषण एवं विवेचन से इस न्यायालय का यह मत है कि दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलित किया गया है वह अभियुक्तगण वासिब अली उर्फ कल्लू, मोहम्मद इमरान, नन्हे उर्फ वसीम, सलमान पुट्टे व शाहरूख खान के विरुद्ध अपराध धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 302 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त है । फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को लगाए गए आरोप से उन्मोचित किए जाने की मौखिक प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती है खण्डित की जाती है ।

अभियुक्त वासिब अली उर्फ कल्लू दिनांक 6 अप्रैल 2022 को जिला कारागार प्रतापगढ़ से आरोप विरचित किए जाने हेतु व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित हो । शेष अभियुक्तगण भी आरोप विरचित किए जाने हेतु व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित आए । हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करें ।

पत्रावली वास्ते विरचित करने आरोप विरुद्ध अभियुक्तगण दिनांक 6 अप्रैल 2022 को पेश हो ।

ह/–

(महेश कुमार)

{अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), प्रतापगढ़ ।}

'सत्र परीक्षण संख्या 848/2021 राज्य बनाम वासिफ अली उर्फ कल्लू व 4 अन्य ।'

Digitally signed by Mahesh Kumar
Date: 2022.04.02 13:59:06 SCT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court